



प्रेस विज्ञप्ति

09/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने महर्षि संजयभाई चोक्कास और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष 27/11/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर विमुद्रीकृत निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को बैंकिंग प्रणाली में स्थानांतरित किया, जिससे 60.52 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की गई।

ईडी ने महर्षि संजयभाई चोक्कास, सुनील आर. रूपाणी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सीबीआई, गांधीनगर द्वारा की गई जांच के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

इस मामले में, महर्षि एस. चोक्कास और हेमांशु आर. शाह ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके, नीरव एंड कंपनी के मालिक नीरव आर. शाह के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, नीरव एंड कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी से खोले गए एक निष्क्रिय बैंक खाते में **36.17 करोड़ रुपये** के विमुद्रीकृत निर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए हैं। इसी प्रकार, महर्षि संजयभाई चोक्कास और सुनील रमेशभाई रूपाणी ने सुनील रूपाणी की स्वामित्व वाली कंपनी एस. आर. ट्रेडर्स के बैंक खाते में **24.35 करोड़ रुपये** के विमुद्रीकृत निर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए हैं। यह खाता अपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके खोला गया था। इस प्रकार, इन आरोपियों, महर्षि एस. चोक्कास, हेमांशु आर. शाह और सुनील रूपाणी ने कुल मिलाकर 60.52 करोड़ रुपये के विमुद्रीकृत निर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए, ताकि अपराध की आय (पीओसी) की समतुल्य राशि प्राप्त की जा सके।

इसके अलावा, महर्षि एस. चोक्कास और हेमांशु आर. शाह ने मेसर्स नीरव एंड कंपनी और मेसर्स एस. आर. ट्रेडर्स के बैंक खातों में जमा की गई पीओसी को अपने नियंत्रण वाली संस्थाओं, अर्थात् मेसर्स शाह मगनलाल गुलाबचंद चोक्सी, मेसर्स महर्षि ट्रेडर्स और मेसर्स डी. एन. ट्रेडर्स के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया और अंततः इसका उपयोग कई सोने/चांदी के आपूर्तिकर्ताओं से सोने/चांदी की बुलियन खरीदने या व्यक्तिगत देनदारियों को चुकाने के लिए किया। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक चालान, जहाँ लेनदेन का मूल्य 2 लाख रुपये से कम है, के लिए पैन कार्ड घोषित न करने के प्रावधान का दुरुपयोग करते हुए, अपने नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से कई अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर फर्जी बिक्री दिखाई है, ताकि पीओसी को बेदाग दिखाया जा सके।

इससे पहले जांच के दौरान महर्षि एस. चोक्कास की 2.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को भी पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।